संख्याः120/2026/457पू0वि0नि0/35-1-2026-35-1099/108/2026

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी,
प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, बाराबंकी, सुलतानपुर, अम्बेडकरनगर, अमेठी, गोरखपुर, कुशीनगर, महराजगंज, देवरिया, वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, मीरजापुर, भदोही, सोनभद्र, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा तथा हमीरपुर।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 22 जून, 2026

विषयः संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु निर्धारित बचत-प्रारूप पर ही सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत है कि नियोजन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-724/35-4-2025/35-4099/183/ 2024, दिनांक 05.08.2025 द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की मांग विषयक प्रस्तावों पर विचार किये जाने हेतु आवश्यक प्रपत्र के रूप में नवीन बचत प्रारूप निर्धारित की गयी है। उक्त बचत प्रारूप पर प्राप्त सूचना को ही संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बन्देलखण्ड) निधि योजना के अन्तर्गत जनपदों से प्राप्त अवशेष धनराशि की मांग-प्रस्ताव की गणना हेतु भी अपनाया जा रहा है।

2. उल्लेखनीय है कि जनपदों से उक्त शासनादेश दिनांक 05.08.2025 द्वारा निर्धारित प्रारूप के स्तम्भ-7 में कार्य के अनुबन्ध के अनुसार अन्य मदों की लागत के संबंध में सूचना समेकित रूप में भिन्न-भिन्न आधार पर आंकलित करते हुए अवशेष धनराशि की मांग-प्रस्ताव में प्रस्तुत की जा रही है। कतिपय जनपदों से प्राप्त बचत-प्रारूप की सूचना में यह भी पाया गया है कि संबंधित कार्य हेतु अनुमन्य चार्जेज के अलावा भी कतिपय मदों को गणना में सम्मिलित किया गया है, जबकि शासन द्वारा कार्य के संबंध में पी०एफ०ए०डी० द्वारा आंकलित गणनाशीट में अनुमन्य मदों को यथानिर्धारित दरों के अनुसार गणना में सम्मिलित किया जाता है। फलस्वरूप जनपदों से प्राप्त अवशेष धनराशि के मांग प्रस्ताव एवं शासन द्वारा आंकलित अवशेष धनराशि में अन्तर/भिन्नता उत्पन्न हो रही है।

3. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु जनपदों से प्राप्त मांग-प्रस्ताव में उपरोक्तानुसार पायी जा रही अन्तर/भिन्नता को समाप्त किये जाने हेतु संलग्न बचत प्रारूप पर ही अनुबंध की लागत के आधार पर यथानिर्धारित दरों के अनुसार अनुमन्य मदों की लागत की गणना करते हुए वांछित सूचना अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संलग्नक - निर्धारित बचत प्रारूप।</u>

भवदीय,
(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव

<u>संख्या एंव दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी सम्बन्धित जनपदों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(अशोक कुमार राम)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्याः 120/2026/457पू0वि0नि0/35-1-2026-35-1099/108/2026, दिनांक 22 जून, 2026 का संलग्नक

बचत-प्रारूप

जनपद-

कार्य का नाम-

क्र०	CMIS पोर्टल पर कार्य का कोड	मूल शासनादेश संख्या एवं तिथि	स्वीकृत /पुनरीक्षित लागत (GST सहित)	प्राविधिक लागत (GST सहित)	कार्य के अनुबंध की लागत	स्तम्भ-6 में उल्लिखित कार्य के अनुबंध की लागत पर अनुमन्य चार्जेज जैसे- जी०एस०टी०, लेबर सेस, कंटीजेन्सी, मूल्य ह्रास निधि आदि, जो भी अनुमन्य हो, का पृथक-पृथक आंकलन करते हुए निम्नानुसार अंकित किया जाय।	कार्य के अनुबंध के अनुसार कुल लागत (अनुमन्य चार्ज सहित) (6+7)	अन्य बचत (यदि कोई हो)	बचत की धनराशि (5-(8+9))	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	पूर्व में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1						जी०एस०टी०(निर्धारित दर) =						
						लेबर सेस(निर्धारित दर) =						
						इसी प्रकार अन्य मदें (यदि कोई हो)						
						कुल योग =						

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

टिप्पणी:-

(1) जी०एस०टी० 12 प्रतिशत के स्थान पर 18 प्रतिशत होने की दशा में यह स्पष्ट किया जाय कि कितना कार्य 12 प्रतिशत एवं कितना कार्य 18 प्रतिशत जी०एस०टी० के आधार पर कराया गया है तथा 06 प्रतिशत जी०एस०टी० के अन्तर की धनराशि का स्पष्ट आंकलन करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के प्रस्तर-2-1(2) में उल्लिखित है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या वी-1-901/दस-2011-231/2011, दिनांक 21 मार्च, 2011 के प्रस्तर-2(3) के अनुसार राजकीय निर्माण विभागों/इकाइयों के विभागीय कार्यों पर सेंटेज दर (6.875 प्रतिशत) को परियोजना की लागत पर जोड़ने व उसे राजकोष में जमा किये जाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है। अतः सेंटेज दर (6.875 प्रतिशत) को प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया जाय।

(अशोक कुमार राम)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।